

रजिस्टर्ड नं-ए०३०-७
लाइसेन्स ल०-ड६८००५-४
(लाइसेन्स दृ पोस्ट विवाह समिति)



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 23 मई, 2015 ई० (ज्येष्ठ 2, 1937 शक संवत्)

भाग ८

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगयस्त होने वालों और
मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत दोहरीघाट, मऊ

28 फरवरी, 2015 ई०

सं० 167/न०प०/उपविधि/2014-15-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 के अधीन
अपनी सीमा के अन्तर्गत स्थिति अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेख पर शुल्क लगाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा
128 (1) खण्ड तेरह (ख) के आधीन निम्नलिखित नियमावली बनायी है। इस नियमावली पर किसी व्यक्ति को कोई
आपत्ति/सुझाव देना हो तो समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर अपना सुझाव/आपत्ति दे
सकता है। बाद मियाद किसी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं होगा। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव नहीं
प्राप्त हुआ है। अतः नियमावली अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाती है।

नियमावली

- 1-परिचय
(क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद मऊ से है;
(ख) "अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के विलेखों पर शुल्क" से तात्पर्य ल०प्र० नगरपालिका ऐकट, 1916 की धारा

- 128 (1) के खण्ड 13 (ख) के अन्तर्गत आरोपित होने वाले शुल्क में हैं;

- (ग) "उप निबन्धक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति
हस्तान्तरण रजिस्ट्रेशन हेतु नियुक्त अधिकारी से है;

- 2-नियमावली—यह नियमावली नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद मऊ की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति
के हस्तान्तरण के विलेखों पर शुल्क, उगाही से सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी, जो गजट में प्रकाशन के
दिनांक से प्रभावी होगी।

- 3—"इन्डियन स्टाम्प ऐकट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त यथा संशोधित इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 (ऐकट
संख्या 2, 1899) से है।

- 4—"शुल्क" का तात्पर्य इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विसी भी
विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।

- 5—"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐकट, 1916 (य०पी० ऐकट संख्या 2, 1916) से है।

- 6—"अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत दोहरीघाट, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

कार्यालय, नगर पंचायत अमिला, जनपद मऊ

28 फरवरी, 2015 ई०

सं० 218/न०प०अमिला/उपविधि/2014-15-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 के अधीन आपनी सीमा के अन्तर्गत रिथित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेख पर शुल्क लगाने हेतु उक्त अधिनियम, धारा 128 (1) 'खण्ड तोरह (ख)' के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनायी है इस नियमावली पर किसी व्यक्ति को वही आपत्ति/सुझाव देना हो तो समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर अपना सुझाव/आपत्ति सकता है। बाद मियाद किसी आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं होगा। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव वही प्राप्त हुआ है। अतः नियमावली अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाती है।

नियमावली

1-परिमाण-

- (क) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत अमिला, जनपद मऊ से है;
- (ख) "अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के विलेखों पर शुल्क" से तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका ऐकट, 1916 की धारा 128 (1) के खण्ड 13 (ख) के अन्तर्गत आरोपित होने वाले शुल्क में हैं;
- (ग) "उप निबन्धक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण रजिस्ट्रेशन हेतु नियुक्त अधिकारी से है;

2-नियमावली—यह नियमावली नगर पंचायत अमिला, जनपद मऊ की सीमा के भीतर रिथित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर शुल्क उगाही से सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी, जो गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—"इन्डियन स्टाम्प ऐकट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त यथा संशोधित इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 (ऐकट संख्या 2, 1899), से है।

4—"शुल्क" का तात्पर्य इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।

5—"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐकट, 1916 (य०प० ऐकट संख्या 2, 1916) से है।

6—"अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत अमिला, जनपद मऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

7—"अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत अमिला के अध्यक्ष व प्रभारी अधिकारी से है।

8—नगर पंचायत अमिला की सीमा के अन्तर्गत किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण विलेख क्रय-विक्रय द्वारा किया जायेगा। इन्डियन स्टाम्प ऐकट, 1899 के अन्तर्गत उसका पंजीकरण होगा उन सभी विलेखों पर यह शुल्क लागू होगा।

9—नगर पंचायत सीमा के भीतर उपरोक्त नियम 7 के अन्तर्गत हस्तान्तरण की जाने वाली अचल सम्पत्ति के समस्त मूल्य का प्रतिशत (2%) की दर से शुल्क देय होगा, जिसका भुगतान अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर इन्डियन विलेख स्टाम्प ऐकट, 1899 आरोपित शुल्क के साथ-साथ देय होगा।

10—स्टाम्प के साथ बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप वसूल की गयी समस्त शुल्क की धनराशि प्रासंगिक व्यय यदि कोई हो, को हटाने के पश्चात आयुक्त, स्टाम्प उ०प्र० या सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पंचायत के कोष में जमा करायी जायेगी। प्रत्येक निबन्धक के लिए जो भी विलेख पंजीकृत कराये जायेंगे, उन पर कर की उपरोक्त अतिरिक्त धनराशि नगर पंचायत के कोष में जमा करायी जायेगी। शुल्क की उगाही की गयी धनराशि के सम्बन्ध में विहित की गयी रीति से जमा की जायेगी। धनराशि का माहवार ब्योरा रखा जायेगा, जिसका मिलान निबन्धन अधिकारी द्वारा कराये गये विवरण से किया जायेगा।

11—नगर पंचायत के भीतर रिथित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई विलेख (डीड) जब निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तो उप निबन्धक अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इन्डियन स्टाम्प ऐकट की धारा 27 में विद्यिष्ट बौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक् दिये गये हैं तथा उसके अनुसार उप निबन्धक द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

- (क) नगर के भीतर रिथित अचल सम्पत्ति, और
- (ख) नगर के बाहर रिथित अचल सम्पत्ति।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, जौनपुर

31 मार्च, 2015 ई०

सं० 1490/दो-कर-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में निहित शक्तियों का प्रयोग द्वारा उद्गृहीत किये जा रहे सम्पत्ति करों (जलकर व गृहकर) हेतु अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद की परिभाषा को परिवर्तित करने तथा अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर क्षेत्र के निवासियों/भवन स्वामियों को रखते कर निर्धारण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है। समिति द्वारा प्रस्तावित उपविधि पर प्राप्त समस्त आपत्तियों को निरस्तारित करते हुए प्रस्तावित उपविधि को अंतिम रूप से संरक्षित प्रदान की गयी है, जिसे बोर्ड की बैठक दिनांक 12 जून, 2014 को पारित संकल्प संख्या 04, के द्वारा निम्न उपविधि, 2012 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नगरपालिका परिषद, जौनपुर 'सम्पत्ति कर उपविधि-2012'

अध्याय-एक

1-नाम और विस्तार-

- (1) यह उपविधि जौनपुर नगरपालिका सम्पत्ति कर उपविधि, 2012 कही जायेगी।
- (2) यह जौनपुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी होगी।
- (3) यह उपविधि 01 फ्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषायें—इस उपविधि में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो—

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;
- (2) "नगरपालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर से है;
- (3) "बोर्ड/अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर के बोर्ड/अध्यक्ष से है;
- (4) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, जौनपुर के अधिशासी अधिकारी से है;
- (5) "कर निर्धारण अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 158 के अन्तर्गत उल्लिखित कर निर्धारण अधिकारी से है;
- (6) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति किसी भूमि या भवन अथवा दोनों से है;
- (7) "भवन" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत अवधारित भवन से है;
- (8) "भवन स्वामी" का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 2(13) में परिभित भवन स्वामी से है;
- (9) "अध्यासी" का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भवन पर वार्तविक अध्यासन तो है किन्तु उसके पास सम्पत्ति के रवानित्व का विधिक अधिकार नहीं है;
- (10) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका परिषद, अधिनियम 1916 की धारा 140 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आंकित किये गये वार्षिक मूल्य से है;
- (11) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा (क) में यथा उल्लिखित अनावासीय भवन से है;
- (12) "आवासीय भवन" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (ख) में यथा उल्लिखित आवासीय भवन से है;
- (13) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (ख) के स्पष्टीकरण एक में दिये गये प्राविधानों से है;
- (14) "आच्छादित क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 (क) में निहित व्यवरथा से है;
- (15) "क्षेत्रीय किराया दरों" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर वार्षिक मूल्यांकन हेतु धारा 140 (ख) के अनुसार निर्धारित की गई क्षेत्रीय किराया दरों से है;

(6) कारपेट एरिया की गणना-वार्षिक मूल्यों के प्रयोजनार्थ कारपेट एरिया की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

(1) समरत कर्मों और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्ग फुट में) (तल के अनुसार)

(2) समरत बालकनी, कारीडोर, रसोई और स्टोर का पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)

(3) समरत गैरेज के आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी-स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

7-कर निर्धारण सूची-

उपरोक्त उपबन्ध 5(क) से (घ) तक संकलित की गई सूचना के आधार पर वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के पश्चात कर निर्धारण सूची निम्नलिखित तथ्यों को समाविष्ट करते हुए की जायेगी—

(1) संख्या या नाम जो पहचान के लिए पर्याप्त हो,

(2) सड़क या मोहल्ले का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है,

(3) वास्तविक स्वामी का नाम अथवा अध्यासी का नाम,

(4) स्वतः निवसित है अथवा किराये पर,

(5) भूमि का कुल क्षेत्रफल,

(6) भवन की कारपेट एरिया या आच्छादित क्षेत्रफल,

(7) भवन आबासीय प्रयोग में है अथवा अन्नाबासीय प्रयोग में,

(8) भवन के निर्माण की प्रकृति,

(9) क्षेत्रीय किराया दर,

(10) भवन का वार्षिक मूल्य,

• (11) भूमि/भवन की चौहदादी,

8-सूची का प्रकाशन-

(1) जब सम्पूर्ण नगर की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाय तब अधिकृत अधिकारी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सूची का निरीक्षण करने के लिए नगर क्षेत्र में परिचालन वाले दो सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करायेगा।

(2) सम्बन्धित व्यक्ति भवन के कारपेट एरिया या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या गणना या छूट अथवा अन्य प्रविष्टियों के सम्बन्ध में हुई त्रुटि के लिए अधिकृत अधिकारी को सम्बोधित लिखित आपत्ति सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) अधिकृत अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए आपत्तियों को निस्तारण करेगा।

9-कर निर्धारण सूची में संशोधन या परिवर्तन-

(1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 147 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये साक्षों की जांच कराने के उपरान्त समरत हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सूचित करेगा।

अध्याय-तीन

करों का भुगतान

10-करों का भुगतान-

(1) सम्पत्ति करों की देयता वार्षिक होगी।

(2) देय कर-अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत जब तक बोर्ड द्वारा कोई नई दर नहीं निर्धारित की जाती है तब तक वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर और 15 प्रतिशत जलकर देय होगा।

(3) स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अगरत तक चालू सम्पत्ति कर जमा किये जाने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। नियत तिथि के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में कोई छूट देय नहीं होगी।

(4) स्वामी/अध्यासी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में केवल जमा किये जाने पर अवशेष धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज देय होगा।

धे
रा

अनुसूची-एक

"प्रपत्र-क"

सम्पत्ति कर स्वतः निर्धारण प्रपत्र

(अधिनियम की धारा 141(क) के अन्तर्गत)

—सम्पत्ति का विवरण—

- (1) भवन/भूखण्ड संख्या कम्प्यूटर कोड संख्या
- (2) भवन/भूखण्ड की अवस्थित का पता वार्ड संख्या

—स्वामी/अध्यासी का विवरण—

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम
- (2) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम
- (3) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता
- (4) स्वामी/अध्यासी का मोबाइल नम्बर

3—भवन सम्बन्धी विवरण—

- (1) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का
पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)
(तल के अनुसार) लम्बाई × चौड़ाई योग
- (2) समरत बालकनी, कारीडोर, रसोई और स्टोर का
पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)
- (3) समस्त गैराज के आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)
- टिप्पणी—** रनान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।
- (4) भवन का कुल कारपेट एरिया (वर्गफुट में)
(तीन (1) का 100% + तीन (2) का 50% + तीन (3) का 25%)
- (5) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है।

4—भवन के निर्माण की प्रकृति—

- (1) आर०सी०सी० या अर०बी० छत सहित पक्का भवन अन्य पक्का भवन

- (2) भवन के निर्माण का वर्ष

- (3) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है अथवा किराये पर है, किसी एक का उल्लेख करें

टिप्पणी— यदि भवन एक वर्ष से कम अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा, किन्तु यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

5—भवन अवस्थित है—

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

6—भूमि सम्बन्धी विवरण—

- (1) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित नहीं है (वर्गफुट में)
- (2) भूमि अवस्थित है—

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

कुल धनराशि (शब्दों में)

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्व मूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी में ठीक और पूर्ण हैं। यदि जांच में इसमें उल्लिखित कोई बात असत्य या झूठी पायी जाती है तो नियमानुसार देय दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

भवन स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर

नाम

अनुप्रमाणक साक्षी—

1—हस्ताक्षर

2—हस्ताक्षर

नाम

नाम

पिता माता का नाम

पिता माता का नाम

पता

पता

“प्रपत्र-ख”**सूचना विवरणी प्रपत्र**

(अधिनियम की धारा 141(क) के अन्तर्गत)

1—सम्पत्ति का विवरण—

(1) भवन/भूखण्ड संख्या कम्प्यूटर कोड संख्या

(2) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता वार्ड संख्या

2—स्वामी/अध्यासी का विवरण—

(1) स्वामी/अध्यासी का नाम

(2) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम

(3) स्वामी/अध्यासी का रथायी पता

(4) स्वामी/अध्यासी का मोबाइल नम्बर

3—भवन सम्बन्धी विवरण—

(1) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का

लम्बाई × चौड़ाई योग

पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

(तल के अनुसार)

(2) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और स्टोर का

पूर्ण आंतरिक आयाम (वर्गफुट में)

(3) समस्त गैराज के आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी—स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

(4) भवन का कुल कारपेट एरिया (वर्गफुट में)

(तीन (1) का 100% + तीन (2) का 50% + तीन (3) का 25%)

(5) भूगि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है।

4-भवन के निर्माण की प्रकृति-

(1) आरोसी०सी० या आरोबी० छत सहित पक्का भवन

अन्य पक्का भवन

(2) भवन के निर्माण का वर्ष

(3) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है अथवा किराये पर है, किसी एक का उल्लेख करें
 टिप्पणी—यदि भवन एक वर्ष से कम अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा, किन्तु यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

5-भवन अवस्थित है-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

6-भूमि सम्बन्धी विवरण-

(1) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित नहीं है (वर्गफुट में)

(2) भूमि अवस्थित है-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

7-भवन/भू-खण्ड की चौहदादी-

पूरब

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

8-भवन/भूमि का पुराना वार्षिक मूल्य रु०

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि स्व मूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी में ठीक रखीकार होगा।

दिनांक

भवन स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर
नाम

अनुप्रमाणक साक्षी-

1-हस्ताक्षर

नाम

पिता/माता का नाम

पता

2-हस्ताक्षर

नाम

पिता/माता का नाम

पता

राजरख निरीक्षक,
नगरपालिका परिषद्,
जौनपुर।

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

कर अधीक्षक,
नगरपालिका परिषद्,
जौनपुर।

दिनेश टण्डन,

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद्, जौनपुर